


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2015/14226-66 दिनांक 19.12.2015 के द्वारा राज्य के अजमेर, बांसवाड़ा, बाडमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के 14487 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में आबियाना शुल्क की वसूली स्थगन कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति।

भवदीय,


(रोहित कुमार)
शासन सचिव

शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राज0 जयपुर।

एफ 1(1)(4)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2015/
जयपुर, दिनांक

23.12.15

14424